संख्या- 3/423/12-2-2014-23/2012

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 04 मार्च, 2014

विषय: मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: शो0एवं मृ0सर्वे0/768/वित्तीय स्वीकृति/13-14 दिनांक 03 फरवरी, 2014 तथा शासनादेश संख्या- 3656/12-2-2013-23/2012 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरंक्षण-आयोजनागत-102-मृदा संरंक्षण-05-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 139454 हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 69727 हजार (छः करोड सत्तानबे लाख सत्तास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत विवरणानुसार आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि धनराशि का आहरण फेजिंग करके आवश्यकतानुसार किया जायेगा:-

(धनराशि हजार रू0 में)

मानक मद	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
09-विद्युत देय	9100.00	4550.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के [illegible] भुगतान	115704.00	57852.00
42-अन्य व्यय	14650.00	7325.00
योग-	**139454.00**	**69727.00**

2. धनराशियों का निस्तारण जहॉ आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों अधिकारियों की मांग के अनुसार अपेक्षित धनराशि आपके स्तर से नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं

http://shasnadesh.up.nic.in

हुआ/ हो रहा। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. शासनादेश संख्या- 2638/12-2-2011-147/2007 दिनांक 09 अगस्त, 2011 एवं शासनादेश संख्या: 2638/12-2-2011-147/2007 दिनांक 16 अगस्त, 2011 व शासनादेश संख्या: 4022/12-2-2011-147/2007 दिनांक 30 दिसम्बर, 2011 तथा शासनादेश संख्या: 1957/12-2-2012-23/2012 दिनांक 21 जून, 2012 एवं शासनादेश संख्या: 3536/12-22013-23/2012 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशों के अनुसार मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं हेतु सेवा प्रदाता के माध्यम से रखे गये कार्मिकों के मानदेय के सम्बन्ध में देय धनराशि में सर्विस टैक्स तथा सर्विस चार्ज को शामिल कर सर्विस प्रोवाइडर को देंगे। इस हेतु लेखाशीर्षक को इंगित करेंगे।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

7. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-102-मृदा संरक्षण-05-मृदा स्वास्थ्य का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8; यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-640-दस/2013-23/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या: (1)/12-2-2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-

http://shasnadesh.up.nic.in

प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वे0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5. वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
संयुक्त सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in